1935 का भारत सरकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका ब्रिटिश भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। यह भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख संवैधानिक सुधारों में से एक था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

प्रमुख विशेषताऐं:

1. संघीय सिस्टम: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के लिए एक संघीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। भारत को प्रांतों और रियासतों में विभाजित किया जाना था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सरकार होगी।
2. द्विसदनीय विधानमंडल: इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें संघीय विधानसभा (निचला सदन) और राज्यों की परिषद (उच्च सदन) शामिल थी। संघीय विधानसभा के सदस्यों को लोगों द्वारा चुना जाना था, जबकि राज्य परिषद के सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुना जाना था।
3. द्वैध शासन को प्रतिस्थापित किया गया: द्वैध शासन का सिद्धांत, जो पहले लागू किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रांतीय सरकारों को उन विषयों पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्राप्त हुआ जो पहले दोहरे नियंत्रण में थे।
4. पृथक निर्वाचन क्षेत्र: इस अधिनियम में विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रावधान को बरकरार रखा गया, जो सांप्रदायिक तनाव का एक स्रोत था।
5. गवर्नर जनरल: इस अधिनियम ने एक नया पद स्थापित किया, भारत का गवर्नर-जनरल, जिसके पास पिछले वायसराय की तुलना में अधिक शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ थीं। गवर्नर-जनरल को गवर्नर-जनरल की नव निर्मित कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करना था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे।
6. आरक्षित विषय: कुछ विषय, जैसे रक्षा और विदेशी मामले, केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहे, जिस पर काफी हद तक ब्रिटिश प्रभुत्व था।
7. वित्तीय स्वायत्तता: प्रांतीय सरकारों को उनके वित्त पर नियंत्रण दिया गया, जिससे उन्हें राजस्व बढ़ाने, व्यय का प्रबंधन करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की अनुमति मिली।

परिणाम और प्रभाव:

1. अपूर्ण कार्यान्वयन: विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक चुनौतियों के कारण 1935 का भारत सरकार अधिनियम कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी इसके कार्यान्वयन को बाधित किया।
2. सांप्रदायिक मुद्दे: इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों के प्रावधानों ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना जारी रखा।
3. स्वतंत्रता का मार्ग: अपनी कमियों और अधूरे कार्यान्वयन के बावजूद, यह अधिनियम भारत की अंततः स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने 1947 के बाद के भारत सरकार अधिनियम की नींव रखी, जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।
4. स्वशासन की तैयारी: इस अधिनियम ने कई विशेषताएं पेश कीं जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें संघवाद, द्विसदनीय विधायिका और सरकार की संरचना शामिल थी।
5. प्रांतीय स्वायत्तता: इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों की शक्तियों में वृद्धि की, जिससे उन्हें स्थानीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने की अनुमति मिली।
6. समसामयिक महत्व: हालाँकि यह अधिनियम अब प्रभावी नहीं है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ बना हुआ है, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता तक भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है।

1935 का भारत सरकार अधिनियम एक जटिल कानून था जिसने भारत में संवैधानिक सुधार और स्वशासन की मांगों को संबोधित करने का प्रयास किया। हालांकि विभिन्न कारकों के कारण इसे पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका, लेकिन इसने संवैधानिक और राजनीतिक विकास को आकार देने में भूमिका निभाई जिसके कारण अंततः 1947 में भारत को आजादी मिली।

LEARNING MANTRAS